राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–11/नर्स–2/वेतन आहरण/2017/ दिनांकः–

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि सबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती–2013 के अंतर्गत नवनियुक्ति नर्स द्वितीय की कार्यग्रहण तिथि के सबंध में निर्देश हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित किये जाते है, निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा अभ्यार्थियों को नर्स–2 के पद पर नियुक्ति दी जाकर दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रथम नियुक्ति स्थान पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था, तत्पश्चात कुछ आदेशों में संशोधन कर उन्हें अन्य जिलों के अधीन पदस्थापित किया गया था, जिसके कम में सबंधित अधिकारीयों द्वारा कार्मिकों को नवीन संशोधित स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है।

अतः वित्तीय सलाहकार मुख्यालय की राय अनुसार कार्मिको द्वारा प्रथमतः दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत उपस्थिति स्थान पर तत्सबंधित दिनांक को जहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थिति प्रस्तुत की गई हो को कार्यग्रहण तिथि मानते हुये नियमानुसार वेतन आहरण की कार्यवाही करावें।

नोटः–यदि किसी अभ्यार्थी के दस्तावेजों में कोई कमी (यथा न्यायिक प्रकरण, पुलिस सत्यापन सही नहीं पाये जाने अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कमी एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इत्यादि–2 के आधार पर) पाई जावे तो, दस्तावेजों की दुरुस्ती तिथी से ही प्रथम कार्यग्रहण तिथि मानी जावें।

–sd–

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–11/नर्स–2/वेतन आहरण/2017/482 दिनांकः–17/07/2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविधालय राजस्थान।
2 समस्त सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन–राजस्थान।
3 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बेबवाईट पर अपलोड करावें।
6 आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर